

1092/48-201
सरकार

५१००
२५६

संख्या—१०७/१-४-११-१३४ बी—४/०२ टी०सी०

प्रेषक,

को०को० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—४

महाप्रधान

५१०० (ब्लैंक)

२५६(X)

लखनऊ: दिनांक: १३ जून, २०११

विषय:—उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन)
नियमावली, २०११ का प्रभ्यापन।

प्र० कम्प्यूटर

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-७४/१-४-११-१३४ बी—४/०२ टी०सी०, दिनांक
२७-६-११ १३.१.२०११ के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त
(८६४) विरासत के मामलों में, खाताधारक की मृत्यु के उपरान्त सू—राजस्व अधिनियम की
धारा—३३ के अंतर्गत प्रपत्र पक—११ पर नामान्तरण आदेश अधिकतम १३ दिवसों में
दर्ज कर कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण मृतक के वारिसों को निःशुल्क दिये जाने का
निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(को०को० सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शिव इयाम मिश्र)
विशेष सचिव।